

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 95/2025

तारीख रजू :- 27/05/2025

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2025/225

उनवान

वेदी पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली



—वादीगण—02

बनाम

रामावतार पुत्र बनैसिंह जाति निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

—गैरसायल

—प्रतिवादीगण—11

दिनांक	फर्द अहकाम
27/5/2025	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री शांति स्वरूप शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।</p> <p align="right">                       (हेमराज गुर्जर)                      उप खण्ड अधिकारी                      हिण्डौन जिला करौली                 </p>
1/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... को पेश है।</p> <p align="right">28/10/25</p>
28/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवज दिलाने पर भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उप-नहीं हुए। अतः मु.नं. 95/2025 उनवान वेदी बनाम रामावतार दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम अरम पैरवी अरम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार ठेकर बार तकमील नं. से अरम की जाकद दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="right">  </p>